Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

भारतीय प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बालिकाओं की सहभागिता

सुशील कुमार
यू0जी0सी0 (नेट) शोध छात्र
इतिहास विभाग,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत।

सारांश – अध्यापक प्रशिक्षित संवेदनशील और मेहनती हो। बच्चों की मानसिकता (बौद्धिकता) को पहचानने वाले शिक्षकों को ही छात्र वर्ग आत्मीय मानने लगता हैं। अध्यापन शैली में रोचकता और सम्प्रेषणीयता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए। इस तरह के माहौल में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी ।

मुख्य शब्द – बालिका, प्राथमिक, शिक्षा, अध्यापक, प्रशिक्षित, संवेदनशील, मेहनती, मानसिकता।

भारतीय सभ्यता संस्कृति में स्त्री शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक सदैव शिक्षा में बालिकाओं की सहभागिता रही है।

मानव तभी विकसित राष्ट्र बन सकता है जब हरेक भारतीय साक्षर व शिक्षित हो ।भारत सरकार द्वारा वर्तमान में पूर्ण साक्षरता के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, परन्तु हम अब तक पूर्ण साक्षरता से दूर हैं। आज भी लगभग देश की 25 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है ताकि हम जल्दी से जल्दी पूर्ण साक्षरता के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके ।

1976 में किये गये संविधान संशोधन से शिक्षा समवर्ती सूची में आ गई। तब से निरंतर केन्द्र सरकार अपने अगुआई में शिक्षा संबंधी नीति व कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखने के कार्य को जारी रखा है ।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 की कार्य योजना जिसे 1992 में अद्यतन किया गया था। संशोधित नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत शिक्षा में एकरूपता लाने ,वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को जनआंदोलन बनाने, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने बुनियादी (प्राथमिक) शिक्षा की गुणवता बनाए रखने ,लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देने, देश के प्रत्येक जिला में नवोदय–विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालय की स्थापना करने , माध्यमिक शिक्षा को व्यवस्थापरक बनाने ,उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की जानकारी देने, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद् को सुदृढ़ करने तथा खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योग को बढ़ावा देने एवं एक सक्षम मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने का प्रयास शामिल है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) शिक्षा के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम 6 प्रतिशत निवेश करने की आवशयकता पर बल देती है। जहां शिक्षा पर आवंटन बढ़ाने का प्रयास किए जा रहें हैं। वहीं यह प्रस्ताव भी किया गया है कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत शिक्षा कोष के नाम से एक निधि बनाए जाए और वास्तविक आवश्कताओं और उपलब्ध बजटीय सहायता के बीच की खाई को पाटने के लिए अतिरिक्त बजटीय समर्थन जुटाया जाये।

सर्व–शिक्षा अभियान 2001 में आरंभ हुआ सर्व–शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए भारत के सामजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है। इसके समग्र लक्ष्यों में प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच एवं लैंगिक एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को पाटना और बच्चों के अध्ययन स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करना है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश शामिल है तथा देश के 1203 लाख बस्तियों में अनुमानित 19.20 करोड़ बच्चे इसके अन्तर्गत आते हैं।

उद्देश्यः–

1. 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे 2005 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल, कैंप में हो।
2. 2010 तक सार्वभौमिक शिक्षा की अवधारणा।
3. 2007 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाए।
4. 2010 तक आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर ले।
5. अच्छे जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवता की प्राथमिक शिक्षा पर जोर।
6. 2007 तक प्राथमिक स्तर एवं 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को कम करना।
7. 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़नेवालों की संख्या को शून्य मतबद्ध करना।

उल्लेखनीय है कि अभियान ने सहयेाग दिया है। 302872 नये स्कूल खोलने, 242608 स्कूल इमारतों के निर्माण कार्यरत स्कूलों में नये कक्षा बनवाने, स्कूलों में पीने का पानी का सुविधा, शौचालय के निर्माण, इसके साथ ही परती वर्ष लगभग 10 करोड़ बच्चों को पाठयक्रम उपलब्ध करवाया। सर्वशिक्षा अभियान में वार्षिकोतर पर लगभग 15,000 करोड़ रूपये व्यय हो रहे है। इस अभियान के अंतर्गत न केवल 9 बच्चों की प्राथमिक स्कूल में भागीदारी बढ़ायी है। तीन से चार प्रतिशत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल छोड़कर जाने से रोका है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर बालिका, पिछड़ी जाति, जनजाति के बच्चों, अन्य कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक और शहरी गरीब बच्चों पर ध्यान दिया गया है।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनुठी शिक्षा (EGS)

शिक्षा गारंटी योजना योजना तथा वैकल्पिक एवं अनुठी शिक्षा (EGS) तथा (AIE) स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने का सर्वशिक्षा अभियान (SSA) का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना में स्कूली शिक्षा से अभी तक छुटे गये प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से योजना बनाने का प्रावधान है।

(EGS) के अंतर्गत ऐसी बस्तियों में स्कूली सुविधाएं स्थापित की जाती है जहॉ कि0मी0 की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल नहीं होते हैं।

6–14 आयु वर्ग के 25 स्कूली बच्चों वाले किसी बस्ती में पहाड़ी एवं मरूस्थली क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 15 (EGS) केंद्र स्थापित करने के लिए पात्रता है।

वैकल्पिक शिक्षा (AIE) की शुरूआत समाज के वंचित वर्ग के बच्चे, बाल श्रमिक सड़कों पर जीवनयापन करने वाले बच्चे, प्रवासी बच्चे कठिन परिस्थिति में रहनेवाले बच्चे और नौ वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनायी है। (EGS) और (AIE) ने देशभर में किशोरावस्था की बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना

शैक्षणिक रूप से पिछड़े इलाके में दूसरी प्रमुख पहल कस्तूरबा गॉधी बाका विद्यालय (KGVB) योजना है जिसके तहत ST, SC, OBC तथा मुस्लिम समुदाय की लडकियों के लिए आवासीय उच्च स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया जाता है।

जहॉ स्कूल काफी दूरी पर होते हैं तथा लड़कियों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए चुनौती होती है वहॉ अक्सर लडकियॉ इस कारण स्कूल छोड़ देती है। जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है। आवासीय स्कूल की ब्लॉक में ही स्थापना के माध्यम से (KGVB) इस समस्या का समाधान करता है। (KGVB) में ST, SC, OBC तथा मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की 75 प्रतिशत तथा ऐसे परिवारों की लड़कियों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का न्यूनतम आरक्षण है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (Mid Day Mill Programme)

यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूली नामांकन बढ़ाना, उन्हें बनाये रखना तथा उपस्थिति के साथ साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया है।

योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को तीन सौ कैलोरी और आठ से दस ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम द्वारा स्कूलों में नामांकन की दर तथा बच्चों की दैनिक उपस्थिति बढ़ी है। अभी तक Class Room Hunger (भूखे पेट पढ़ाई) से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे और इससे ज्ञान हासिल करने की क्षमता भी प्रभावित होती थी।

वर्तमान में इसके अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय एन0सी0एल0पी0 मदरसों और मखतबों आदि में पहली से आठवीं तक पढ़ाई कर रहे बच्चों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा तीन से पॉच तक के सभी छात्राओं के प्रति छात्रा 500 रूपये पोशाक हेतु नगद प्रदान किया जाता है। किसी प्रकार माध्यमिक स्कूलों के कक्षा 6 से आठ में अध्ययनरत्त प्रत्येक बालिका को सात सौ रूपये एवं क्लास नौ से 12 तक के छात्रों को प्रति छात्रा एक हजार रूपया बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रदान की जा रही है। इस योजना का प्रमुख्ा लक्ष्य विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ाना तथा विद्यालय आने की दर को बढ़ाना साथ ही बीच–बीच में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।

मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना

नौवीं कक्षाओं में पढ़नेवाले छात्राओं के प्रति बालिका 2500 रूपये साइकिल के लिए प्रदान करायी जाती है। इससे लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ता है तथा माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह प्रेरित होती है। साइकिल योजना का प्रमुख लक्ष्य लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना तथा उनके आत्मविश्वास भरकर उन्हें स्कूल में बनाये रखना व ड्रॉप आउट को रोकना है।

हुनर योजना

मुस्लिम अन्य अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति,जाति के बालिकाओं को मुख्य तकनीकी प्रशिक्षण हेतु हुनर नामक योजना आरंभ की गयी है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रा द्वारा मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करेन पर 10,000 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जिससे कि वह आगे की पढ़ाई जारी रख सके।

इन योजनाओं के अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई महत्वकांक्षी पहल और नई योजनाएं प्रारंभ की गयी। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति (शिक्षा मित्र) पंचायती राज संस्थाओं एवं नगद निकायों के माध्मय से की गयी है। नये स्कूलों की स्वीकृति दी गयी है और नये स्कूल भवनों का निर्माण मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय एवं विकास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है।

इसके साथ ही आंगनबाड़ी के माध्यम से सांस्कृतिक गॉव गॉव के घर–घर तक पहुंचायी जा रही है। जिसका ही समग्र परिणाम है कि बिहार की साक्षरता दर में 2011 की जनगणना में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है।

शिक्षा का विकेन्द्रीकरण

शिक्षा का विकेन्द्रीकरण ने शिक्षा का दायित्व शासन के तीन स्तर पर डाल दिया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय स्वशासन (पंचायत नगर निगम) प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष का दायित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार पर समग्र रूप से है। स्थानीय शासन प्राथमिक शिक्षा के विकास व स्कूलों के रखरखाव व निगरानी के संबंध में महती भूमिका निभा रहा है।

उल्लेखनीय है कि भारत लोकतंत्र में भी सामाजिक सरकारी अभियान जनसहयोग के बिना फलीभूत नहीं हो सकता हैं । हमें शिक्षा की व्याप्कता के सवाल पर केरल से सबक लेने की जरूरत हैं। केरल आज साक्षरता की दर 90 प्रतिशत से उपर है तो इसमें इस राज्य की स्त्री पुरूषों के उदारतापूर्ण सहयोग की भूमिका का महत्व है। आजादी के पहले से ही केरल में साक्षरता का चलन था। बाद में पढ़े लिखे स्त्री पुरूषों ने छोटे छोटे ग्रुपों में पिछड़े और अपने सामुदायों के घरों में जाकर परिवारों को शिक्षा की प्रेरणा देकर प्राथमिक शिक्षा का दायर विकसित करने का पुनीत कार्य किया। निर्धन स्त्री वाले माता पिता की हर संभव जानकारी और गैर सरकारी तरीकों से सहयोग करते हुए उनकी संतानों को स्कूल में प्रवेश दिलवाया। संवेदनशीलता एवं सोमनस्य के साथ गरीबों तथा जरूरतंदों की समस्या केा समझने तथा उसका समाधान करने जैसी दूरगामी नीति के कारण ही अधिकाधिक तादाद में ज्ञान का अंधेरा दूर होने लगा और ज्ञान के उजाले से केरल शैक्षिक जगत में उदाहरण बन गया। श्रीलंका में भी कुछ इसी तरह के प्रयास किये गये। जनतंत्र में जनसहयोग जनप्रतिबद्धता का महत्व शायद हम भूल जा रहे है। हिन्दी भाषा राज्यों में यही देखने में आया है।

आजादी से पूर्व महाराष्ट्र की सावित्री बाई फुले जो स्वयं अनुसूचित वर्ग से थी और जिनको अपनी शिक्षा जारी रखते समय गाली गलौज तथा ईंट पत्थरों से अनेकों बार नवाजा गया। लेकिन उन्होंने कठिन संघर्ष का सामना करते हुए महाराष्ट्र में खास तीर से पिछड़ो क्षेत्रों की स्त्रियों और लड़कियों में शिक्षा का अलख जगाया। छात्रवृतियों और पाठ्य सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था की तथा अधिक उपस्थिति वाली छात्राओं को खाद्यान्न भी वितरित किया। उनके अमूल्य प्रयासों से विवेकशील स्त्री पुरूषों का सहयोग भी मिला। 1892 के आसपास इस तरह के प्रयासों को सकार बनाना आसान नहीं था। आज भी अनेक इलाकों में महाराष्ट्र में पिछड़ी जातियों में शिक्षित स्त्रियों की तादाद अन्य कई राज्यों से बेहतर दशा में पाई जाती है। इससे यह सीख मिलती है कि यदि स्त्रियों की सुधारवादी कामों में स्त्रियॉ प्रमुख भूमिका निभाये तो उसके परिणाम काफी बेहतर निकलते हैं।

अनिवार्य शिक्षा लागू करने की दिशा में बाधा आने पर अभिभवाकों को दंडित करना अनुचित होगा। हमें उन कारणों को तलाशना होगा जिनके कारण माता पिता लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। गरीबी के अलावे जातीय कुंठा, असुरक्षा का वातावरण, अध्यापन में आरोचकता और स्कूल का अस्वस्थ्य और गंदा होना आदि जैसे कारणों से भी खास तौर पर अनपढ लोग स्कूल का महत्व नहीं समझ पाते। यहॉ केरलवासियों की उदारता और हार्दिकता के नुस्खे काम में लाने होंगे। साथ ही कुछ अन्य बातों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। स्कूल के भवनों में पानी, शौचालय और शिक्षकों तथा छा़त्राओं के लिए सुविधाजनक स्थान कुर्सी , मेज आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभी अध्यापक प्रशिक्षित संवेदनशील और मेहनती हो। बच्चों की मानसिकता (बौद्धिकता) को पहचानने वाले शिक्षकों को ही छात्र वर्ग आत्मीय मानने लगता हैं। अध्यापन शैली में रोचकता और सम्प्रेषणीयता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए।

पाठयक्रम सुरूचिपूर्ण वैज्ञानिक तथा बहुआयामी ज्ञान को विकसित करने वाला तथा जनतांत्रिक सिद्धातों स्वीकार्यता से युक्त होनी चाहिए। साम्प्रदायवाद, कट्टरतावाद तथा संस्कृति के नाम पर किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने की प्रवृति पाठयक्रमों में अंकित नहीं होनी चाहिए। आज कल इतिहास का पुर्नलेखन तथा पुस्तकों में व्यक्ति विशेषों से संबंधित लेखों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसकी निंदा की जानी चाहिए और मौलिकता तथा वस्तुनिष्ठता को स्थापित किया जाना चाहिए। हमें हर तरह से अपनी मेल मिलाप वाली बहुवादी संस्कृति की मर्यादा को जीवित बनाये रखना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में अध्यापक की मौजूदगी अनिवार्य और शिक्षक शून्य कमरे की भयावहता तथा एक अध्यापक सभी कक्षाओं की देखरेख करें। जैसी सोचनीय स्थिति सर्वथा समाप्त होनी चाहिए। आशा है इस तरह के माहौल में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. इंडिया ईयर बुक, प्रकाशन विभाग,सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
2. योजना मासिक पत्रिका।
3. कुरूक्षेत्र पत्रिका मासिक।
4. आज कल पत्रिका।
5 भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना रिपोर्ट।
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत रिपोर्ट।
7. Educational Administration in Central Government Beldev Khular-P1-8
8. Education and Democracy in India : Vougir Anne Chatterjee-2004
9. Educational Administration in Central Government , Mahajan , Beldev Khullar, P-25